

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 81/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि (अ), सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 14/2006- सीमाशुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2006, जिसे सा.का.नि. 86 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम सं. 41, 42, 43 और 44 में, कॉलम (4) में, अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) (iv) क्रम सं. 45 और 46 में, -

(क) कॉलम (2) में, अंक "5407 44 00", के स्थान पर अंक कोष्ठक और शब्द "5407 44 (टैरिफ मद 5407 44 20 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (4) में, अंक "10%" के स्थान पर, अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 में, कॉलम (4) में, अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 58 और 59 में, -

(क) कॉलम (2) में, अंक "5407 82", के स्थान पर अंक कोष्ठक और शब्द "5407 82 (टैरिफ मद 5407 82 50 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (4) में, अंक "10%" के स्थान पर, अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम सं. 60 और 61 में, कॉलम (4) में, अंक "10%" के स्थान पर, अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम सं. 62 और 63 में, -

(क) कॉलम (2) में, अंक "5407 84", के स्थान पर अंक कोष्ठक और शब्द "5407 84 (टैरिफ मद 5407 84 50 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (4) में, अंक "10%" के स्थान पर, अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम सं. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और 73 में, कॉलम (4) में, अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम सं. 74 और 75 में, -

(क) कॉलम (2) में, अंक "5408 24", के स्थान पर अंक कोष्ठक और शब्द "5408 24 (टैरिफ मद 5408 24 12, 5408 24 13, 5408 24 15, 5408 24 18 को छोड़कर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (4) में, अंक "10%" के स्थान पर, अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम सं. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103 में, कॉलम (4) में, अंक "10%", के स्थान पर अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम सं. 104 में, कॉलम (2) में, अंक "5801 10", के स्थान पर "5801 10 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi) क्रम सं. 108 में, कॉलम (2) में, अंक "5801 25 00" के स्थान पर, अंक कोष्ठक और शब्द "5801 27 20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम सं. 111 और 112 में, कॉलम (4) में, अंक "10%" के स्थान पर, अंक "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 354/123/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं. 14/2006-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006 को सा.का.नि 86 (अ) दिनांक 01 मार्च, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिमवार अधिसूचना सं. 35/2007- सीमाशुल्क दिनांक

01 मार्च, 2007, जिसे सा.का.नि. 168 (अ) दिनांक 01 मार्च, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।